खंड ३ संख्या ३२

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि १४ मार्च, १९५१।

The Bihar Legislative Assembly Debates

OFFICIAL REPORT

Wednesday, the 14th March, 1951.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना,
१९५२

[मूल्य—६ आने।]
[Price—Annas 6.]

10580

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि २ अप्रैल, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २ अप्रैल, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

पुस्तकालयों की मदद में उपेक्षा।

*८०३। श्री हरिनाथ मिश्र—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनका ध्यान स्थानीय एक हिन्दी दैनिक के २ मार्च, १९५१ के अंक में प्रकाशित 'पुस्तकालयों की मदद में उपेक्षा' नीति शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उपर्युक्त समाचार में जो शिकायतें की गई हैं उनके सम्बन्ध में सरकार की जानकारी क्या है, एवं उसमें लिखित शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई सरकार करना चाहती है?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—(क) स्वीकारात्मक है।

(ख) उपर्युक्त समाचार में यह शिकायत की गई है कि शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये आदेशों का निम्नस्थ अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया है—यह निराधार है, क्योंकि जिन पुस्तकालयों को सरकारी सहायता दी गयी है उनका चुनाव सबडिवीजनल तथा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कौंसिलों द्वारा हुआ है। इन कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्य भी रहते हैं; और डिप्टी इन्सपेक्टर तथा डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर मंत्री की हैसियत से कौंसिल के निर्णयों का कार्यान्वित करते हैं। चुनाव करते समय अनेकानेक बातों पर ध्यान दिया जाता है, अतएव संभव है कि कुछ पुस्तकालय पुराने होते हुए भी वर्तमान स्थिति में अनादृष्टियों से उपेक्षाकृत अयोग्य जंचें हों। मसौढ़ी थाने के किसी एक गांव में दो पुस्तकालयों को सहायता मिली हो—यह बात सहायता पाने वाले पुस्तकालयों की सूची से प्रमाणित नहीं होती, यदि उस गांव में विशेष का नाम बताया जाय तो उस सम्बन्ध में जांच की जायगी। केवल कागज पर अस्तित्व वाले पुस्तकालय को सहायता नहीं दी गई है। यदि माननीय सदस्य ऐसे पुस्तकालयों का नामोल्लेख करें तो यथोचित जांच की जायगी।

वाई० एम० एच० ई० स्कूल सिवान को ग्रान्ट मिलने में विलंब।

*८०४। श्री नन्द किशोर नारायण लाल—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सीवान् वाई० एम० एच० ई० स्कूल को आज तक कोई नॉन-रेकरिंग ग्रान्ट वास्ते साइन्स क्लास खोलने को नहीं मिला है;

परिक्षोत्तीर्ण होने एवं सेवा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से उच्च श्रेणी में पदोन्नत होने में कितने वर्ष लग जाने की सम्भावना है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) अभी तक लोअर डिविजन असिस्टैन्ट्स कितने बहाल हुए हैं उनकी एक फिहरिश्त पुस्तकालय की मेज पर रख दी गयी है।

(ख) ४ लोअर डिविजन असिस्टैन्ट्स अपर डिविजन परीक्षा पास कर चुके हैं मगर ४ सहायकों ने जो उनसे सिनियर हैं, अभी तक परीक्षा पास नहीं की हैं। इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि जो अपर डिविजन परीक्षा पास कर चुके हैं, उनका प्रोमोशन कब होगा।

राजस्व मंडल के उच्च श्रेणी के सहायक।

*७६१। श्री देव नारायण सिंह—राजस्व मंडल के कार्यालय की उच्च श्रेणी के स्थायी या अस्थायी रूप से रिक्त पदों में या अन्य कार्यालयों के स्थायी या अस्थायी रिक्त पदों में निम्न श्रेणी के परीक्षोत्तीर्ण सहायकों को पदोन्नत करने में सरकार की कौन-कौन सी आपत्ति है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—जब अपर डिविजन में वैकेन्सी होगी तो बोर्ड को इन चार पास किये असिस्टैन्ट्स को प्रोमोशन देने में कोई उज्र नहीं होगा। दरहकीकत में अपर डिविजन में लीव वैकेन्सी या दूसरी वैकेन्सी में ऑफिसियेट करने का मौका दे दिया गया है। जिन लोगों ने पास किया है उनमें से एक को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपर डिविजन पोस्ट पर तैनाती हो गयी है।

अपर डिविजन और लोअर डिविजन के ३ असिस्टैन्ट्स को काम के ख्याल से दूसरे आफिस में भेज दिया गया है और उन्हें इस बात की इजाजत दे दी गयी है कि जहां उन्हें अधिक शाहरा मिले, ऐसे पोस्ट्स के लिए वे अप्लाई कर सकते हैं।

राजस्व मंडल तथा राजस्व विभाग सम्मेलन।

*७६२। श्री देव नारायण सिंह—क्या सरकार के समक्ष राजस्व मंडल को भंग करने या राजस्व विभाग में सम्मिलित करने का कोई प्रश्न विचाराधीन है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स को सेक्रेटेरियट के साथ मिला देने का विचार है लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के साथ मिला देने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

AGRICULTURAL IMPROVEMENT LOAN.

***763. Shri JAGANNATH SINGH**: Will the Hon'ble Revenue Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Shri Haribans Singh of village Bisrampur, p.-s. Sasaram, recently applied for Agriculturists' Improvement loan in order to enable him to purchase a tractor for reclamation of waste land and cultivation;